



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 354 राँची, गुरुवार,

6 अगस्त, 2020 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

5 अगस्त, 2020

संख्या-09/आरोप-राँची-169/2017-1944 (09)/रा०,-- श्री प्रदीप कुमार, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, काँके-सम्प्रति-अंचल अधिकारी, बुंडू के विरुद्ध संजीवनी बिल्डकॉन प्रा०लि० द्वारा मौजा-सदलनादु, अंचल-काँके के खाता नं०-28, प्लॉट नं०-13 एवं 14 में क्रय की गई भूमि से अधिक भूमि की दाखिल खारिज की नियम विरुद्ध अनुशंसा करने संबंधी आरोपों के लिए जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, राँची के पत्रांक-204 (i), दिनांक-08.12.2017 द्वारा साक्ष्य सहित आरोप पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त गठित आरोपों के संबंध में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची का मंतव्य प्राप्त किया गया।

2. सम्यक् समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध उक्त आरोप-पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः एतद् द्वारा श्री प्रदीप कुमार, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, काँके-सम्प्रति-अंचल अधिकारी, बुंडू को निदेश दिया जाता है कि वे एक पक्ष के भीतर निम्नांकित कंडिका-04 में नामित

संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित बचाव-बयान प्रस्तुत करेंगे एवं इसकी एक प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

4. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री कामेश्वर प्रसाद, से०नि०झा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

5. विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष रखने हेतु अपर समाहर्ता, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव
